सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

पौष 28, बुधवार, *शाके* 1944-जनवरी 18, 2023

*Pausa 28, Wednesday , Saka 1944- January 18, 2023*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**वित्त विभाग**

**(कर अनुभाग)**

**जयपुर, दिसम्बर 16, 2022**

**एस.ओ.129** :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(54)वित्त/कर/2007-09 दिनांक 04.07.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**सं. एफ. 2(54)वित्त/कर/2007-09**

**राज्यपाल के आदेश से,**

नम्रता वृष्णि,

**संयुक्त शासन सचिव।**

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

"अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 7, 2022**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं.14) की धारा 9 की उप-धारा (1) और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो, झुंझुनू के पक्ष में नगर परिषद, झुंझुनू द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 04.03.2021 पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

**[सं. एफ. 2(54)वित्त/कर/2007-09]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

नम्रता वृष्णि,

**संयुक्त शासन सचिव।**



**Government Central Press, Jaipur.**